विधान परिषद के प्रथम सत्र 2023 के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-4 का उत्तर।

	प्रश्न	उत्तर
4(क)	क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि सुरेन्द्र चौधरी, सदस्य विधान परिषद का पत्रांक नं0- 038447 दिनांक 26 मई, 2022 जो अपर मुख्य सचिव, गृह उ0प्र0 शासन के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है?	जी हाँ।
(ख)	यदि हाँ तो उक्त पत्र के प्रमुख बिन्दु क्या-क्या है?	श्री सतीश चौधरी पुत्र श्री हरिनरायन चौधरी निवासी ग्राम खेसारी गिदहां थाना कसया जनपद कुशीनगर द्वारा अवगत कराया गया है कि इनके गॉव का दिनेश गुप्ता पुत्र हरिकिशुन गुप्ता जो एक अपराधिक दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके पास लाइसेंसी राइफल व पिस्टल है, जिसका दुरूपयोग आये दिन करता रहता है, उसके उपर थाना कसया में मु0अ0सं0-1435/2015 धारा 147,386, 507,504,352 तथा मु0अ0सं0-536/2019, धारा 147,452, 323,504,506, 3(1)द, दर्ज है। वह प्रार्थी व उसके परिवार को कई बार जानमाल की धमकी दे चुका है। प्रार्थी ने अपने परिवार की सुरक्षा हेतु उक्त दिनेश गुप्ता पुत्र हरिकिशुन गुप्ता, ग्राम खेसारी गिदहां, थाना कसया, जनपद कुशीनगर का असलहा निरस्त कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही कराये जाने का अनुरोध किया है।
(ग)	उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी?	पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर की जांच आख्यानुसार मु0अ0सं0-1435/15 धारा 143/386/507/504/352 भादवि बनाम दिनेश गुप्ता पुत्र हरिकिशुन गुप्ता साकिन खेसारी गिदहां व अज्ञात, थाना कसया में दर्ज होकर

जुर्म होना पाये जाने पर आरोप पत्र प्रेषित किया गया जो न्यायालय में विचाराधीन है। मु0अ0सं0-536/19 धारा 147,452,323, 504,506 भादवि 3(1)द, एससी/एसटी एक्ट बनाम दिनेश गुप्ता पुत्र हरिकिशुन गुप्ता आदि 07 नफर का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित है, जो विचाराधीन है। उक्त अभियोग में शस्त्र का दुरूपयोग किया जाना नहीं पाया गया, जिसके कारण शस्त्र लाइसेंसी दिनेश गुप्ता के शस्त्र लाइसेंस के निरस्तीकरण की रिपोर्ट नहीं भेजी गयी।

(घ)	यदि नहीं, तो क्यों?	प्रश्न नहीं उठता।
(ङ)	क्या कार्यवाही कराकर सदन को अवगत करायेंगे?	जी हाँ।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री

13.02.2023

(केशव प्रसाद मौर्य)
नेता सदन, विधान परिषद
एवं उप मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश